(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 81/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 19.08.2025 निर्णय दिनांक : 23.09.2025

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वर जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

.....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0,
2. जसवन्त पुत्र हरदेव जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

.....अप्रार्थीगण

4. करणसिंह पुत्र रामेश्वरदयाल
5. बलराज पुत्र रामेश्वरदयाल
6. मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल
7. सुरेश पुत्र रामेश्वरदयाल

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। .....तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री राजेश यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर सें।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष वाद अनुवानी कृष्ण कुमार बनाम जसवन्त वगै0, प्रकरण संख्या 13/2025 मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष एक वाद तकसीम आराजी एव हुक्मईम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आरटीएक्ट बअनुवानी कृष्ण कुमार बनाम जसवन्त वगैरा प्रकरण संख्या 13/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी, 'प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर बिना प्रतिवादीगण से जवाब दावा लिये एवं बिना पक्षकारान का साक्ष्य लिये प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर वाद का निस्तारण करने पर उतारू हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण के द्वारा लगाये गये अनैतिक दवाब के कारण प्रकरण में बिना अप्रार्थी/

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

प्रतिवादी से जवाब प्राप्त किये एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर प्रकरण का निस्तारण करने पर उतारू हो रहे है प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। अतः प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन वाद तकसीम आराजी एवं हुक्मईम्तनाई दवामी बअनुवानी कृष्ण कुमार बनाम जसवन्त वगैरा प्रकरण संख्या 13/2025 व स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जिले के अन्यन्त्र राजस्व न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमाने कि कृपा करे।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद बअनुवानी कृष्ण बनाम जसवन्तसिंह वास्ते तलवी हेतु नियत है जो आज दिन तक प्रार्थी/वादी ने प्रतिवादीगण की तामील हेतु तलवाना प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के आदेश दिये जाने का तथ्य किसी भी सूरत में संभव नहीं है सभी तथ्य प्रार्थी/वादी ने गलत व बेबुनियाद प्रस्तुत किये है अपितु स्वय अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आराजी बाबत तकास्मे हेतु प्रस्तुत वाद बअनुवानी जसवन्त बनाम करणसिंह में प्रार्थी/वादी उपस्थित होकर लगातार जवाब हेतु समय चाह रहे है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के बजाय प्रकरण में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर गलत आरोप लगाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने से जाहिर होता है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत कर प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने का संदेह है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्तें जवाब दावा/जवाब प्रार्थना पत्र हेतु विचाराधीन है जो स्वयं प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं हो सकती है तथा प्रकरण के निस्तारण हेतु छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत करना अधीनस्थ न्यायालय की किसी अनियमितता को नही दर्शाता है। इस प्रकार वकील प्रार्थी की बहस प्रकरण में चस्पा नही होती है तथा दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़